File No:- 12018/01/2016-Admin I(B) (Part II)
Government of India
NITI Aayog
Administration IB
****

Sansad Marg, New Delhi
Dated 05th of November, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Gazette notification of RRs for the Knowledge & Innovation Hub (KIH) posts of SRO/RO/EO and Joint Adviser/Deputy Adviser.

The undersigned is directed to convey that RRs for the Knowledge & Innovation Hub (KIH) Posts of SRO/RO/EO and Joint Adviser/Deputy Adviser have been notified under the Gazette of India vide GSR No.314 dated 24th September,2018. A copy of the same is forwarded herewith for information:

(Gulveena Badhan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel:011-23042509

To:-

1. JS(Establishment), DoPT, North Block, New Delhi-110001.
2. The Secretary, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi-110069
3. Addl. Principal Secretary to PM, PMO, North Block, New Delhi
4. Ministry of Law(Legislative Department), Legislative-I Section, Shastri Bhavan, New Delhi-110001
5. Lok Sabha Secretariat(for the Committee on Subordinate Legislation)
6. Rajya Sabha Secretariat (for the Committee on Subordinate Legislation)
7. Ministries/Departments as per the Annexure

(Gulveena Badhan)
Under Secretary to the Govt. of India

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No . I-12013/9/2015-AD(CD)]

SURENDRA THAKUR, Under Secy.

नीति आयोग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 314–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1985, योजना आयोग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 और योजना आयोग आर्थिक अधिकारी भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीति आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और आर्थिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–

(1) इन नियमों का नीति आयोग संक्षिप्त नाम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और आर्थिक अधिकारी, समूह-क तथा समूह-ख पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या
(1)	(2)
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/आर्थिक अधिकारी	44* *(2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तित हो सकता है। **नोटः** वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और आर्थिक अधिकारी के स्तर पर पदों की कुल संख्या चवालीस है और प्रत्येक स्तर पर प्रचालित किए जाने वाले पदों की संख्या आवेदकों की पात्रता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद
(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारीः सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय। आर्थिक अधिकारीः सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारीः वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11 अनुसंधान अधिकारी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 आर्थिक अधिकारी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	**भर्ती की पद्धतिः** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(9)	(10)
लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) प्रोन्नति]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) प्रोन्नति] **वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी** केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारियों से-

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास उपाबंध-I में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: इन पदों को, आवेदकों की पात्रता के आधार पर, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी अथवा अनुसंधान अधिकारी अथवा आर्थिक अधिकारी द्वारा भरने की छूट होगी। तथापि, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के समय निर्दिष्ट की जाएंगी।

टिप्पण 2: बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध-I में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय अनुसंधान अधिकारी का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसंधान अधिकारी

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से-

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या**

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास उपाबंध-I में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: इन पदों को, आवेदकों की पात्रता के आधार पर, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी अथवा अनुसंधान अधिकारी अथवा आर्थिक अधिकारी से भरने की छूट होगी किंतु वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी या आर्थिक अधिकारी के ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के समय निर्दिष्ट की जाएंगी।

टिप्पण 2: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय आर्थिक अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध-I में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत विषय/क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा। यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय आर्थिक अधिकारी का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आर्थिक अधिकारी

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से-

(क) (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(II) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास उपाबंध-I में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: इन पदों को, आवेदकों की पात्रता के आधार पर, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी अथवा अनुसंधान अधिकारी अथवा आर्थिक अधिकारी से भरने की छूट होगी। किंतु, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के समय निर्दिष्ट की जाएंगी।

टिप्पण 2: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय अनुसंधान सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिन्होंने 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा। यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय अनुसंधान सहायक का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 3: प्रोन्नति पर नीति आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिया जाएगा।

टिप्पण 4: अनुसंधान सहायक के फीडर ग्रेड में मौजूदा कार्मिकों के संबंध में इन नियमों के लागू होने तिथि से प्रोन्नति का माध्यम प्रचालित माना जाएगा और अधिसूचना के बाद मौजूदा कार्मिकों के प्रोन्नत हो जाने पर भर्ती के एक तरीके के रूप में प्रोन्नति बंद हो जाएगी और पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

टिप्पण 5: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 6: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी के पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है और आर्थिक अधिकारी के पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/01/2016-प्रशासन I(बी)(भाग-II)]

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

उपाबंध-1

अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या एमबीबीएस या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या "इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के खंड ए और बी में उत्तीर्ण"

या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विवर्षीय)

वांछनीय शैक्षिक अर्हता:

किसी भी विधा में डॉक्टरेट या अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री

अनिवार्य अनुभव:

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी: नीति, कार्यक्रम या परियोजना निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन या कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन वर्षों में कार्य अनुभव को शामिल न किया गया हो)।

अनुसंधान अधिकारी: नीति, कार्यक्रम या परियोजना निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन या कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन वर्षों में कार्य अनुभव को शामिल न किया गया हो)।

NITI AAYOG

New Delhi, the 24th September, 2018

G.S.R. 314.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Senior Research Officer) Recruitment Rules, 1985, Planning Commission (Research Officer) Recruitment Rules 1991, and Planning Commission Economic Officer Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Research Officer, Research Officer and Economic Officer in the NITI Aayog, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the NITI Aayog, Senior Research Officer, Research Officer and Economic Officer, Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post
(1)	(2)
Senior Research Officer/Research Officer/Economic Officer.	44* *(2018) Subject to variation dependent on workload. **Note :** The total number of posts at the level of Senior Research Officer, Research Officer and Economic Officer are forty four and the number of posts to be operated at each level will be determined depending upon the eligibility of the applicants.

Classification	Level in pay matrix
(3)	(4)
Senior Research Officer and Research Officer: General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. Economic Officer: General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Senior Research Officer: Level-11 in the pay matrix. Research Officer: Level-10 in the pay matrix. Economic Officer: Level-7 in the pay matrix.

Whether Selection post or Non-Selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion].

In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(11)
By composite method [(Deputation(including short term contract)plus Promotion)] **Senior Research Officer:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed in Annexure-I. **Note 1:** There shall be flexibility to fill up the posts either by Senior Research Officer or Research Officer or Economic Officer depending upon the eligibility of the applicants, however, number of vacancies to be filled up in

the grade of Senior Research Officer and Research Officer shall be indicated at the time of submission of proposal to the Union Public Service Commission.

Note 2: The Departmental Research Officer of the NITI Aayog in level-10 in the pay matrix with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure-I to these rules and having successfully completed 2-4 weeks of training in the field as specified by NITI Aayog, will also be considered alongwith the outsiders and if a departmental Research Officer is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 4. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.

Research Officer:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous Organizations,-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed in Annexure-I

Note 1: There shall be flexibility to fill up the posts either by Senior Research Officer or Research Officer or Economic Officer depending upon the eligibility of the applicants, however, number of vacancies to be filled up in the grade of Senior Research Officer and Research Officer shall be indicated at the time of submission of proposal to the Union Public Service Commission.

Note 2: The Departmental Economic Officer of the NITI Aayog in level-7 in the pay matrix with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure-I to these rules and having successfully completed 2-4 weeks training in the field as specified by NITI Aayog will also be considered alongwith the outsiders and if a Departmental Economic Officer is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Economic Officer:

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations,-

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed in Annexure-I.

Note 1: There shall be flexibility to fill up the posts either by Senior Research Officer or Research Officer or Economic Officer depending upon the eligibility of the applicants, however, number of vacancies to be filled up in

the grade of Senior Research Officer and Research Officer shall be indicated at the time of submission of proposal to the Union Public Service Commission.

Note 2: The Departmental Research Assistant of the NITI Aayog in level-6 in pay matrix with five-year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having completed successful training of 2-4 weeks will also be considered alongwith the outsiders and if a Departmental Research Assistant is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.

Note 3: Mandatory training for a period of 2-4 weeks in the field as specified by NITI Aayog from recognised institutions will be given on promotion.

Note 4: Mode of promotion shall be operated in respect of incumbents existing in the feeder grade of Research Assistant on the date of commencement of these rules and after notification all the existing incumbents have got promoted, promotion as a method of recruitment will cease to exist and the post will filled by deputation (including short-term contract).

Note 5: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 6: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not Applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the posts of Senior Research Officer and Research Officer and consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post of Economic Officer.

[F. No. A-12018/01/2016-Admin I (B) (Part-II)]

DINESH KOCHHER, Under Secy.

ANNEXURE 1

ESSENTIAL EDUCATIONAL QUALIFICATION:

Masters' degree in any discipline or MBBS or degree in Engineering or Technology from a recognised University or passed in sections A and B of the institution examinations of the Institute of Engineers (India); or

Post Graduate diploma in Management (two years).

DESIRABLE EDUCATIONAL QUALIFICATION:

Doctorate in any discipline or Master's degree in Engineering.

ESSENTIAL EXPERIENCE:

Senior Research Officer: Minimum five years' experience (which shall include upto three years for Ph.D provided no work experience is counted) in formulation, appraisal, execution or implementation, research, monitoring and evaluation of policy, programme or projects.

Research Officer: Minimum three years' experience (which shall include upto three years for Ph.D provided no work experience is counted during those three years) in formulation, appraisal, execution or implementation, research, monitoring and evaluation of policy, programme or projects.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 315.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (संयुक्त सलाहकार) भर्ती नियम, 2012 और योजना आयोग (उप सलाहकार) भर्ती नियम, 2012 को, उन

बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीति आयोग में संयुक्त सलाहकार और उप सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग, संयुक्त सलाहकार और उप सलाहकार, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या
(1)	(2)
संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	20* *(2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। **नोटः** संयुक्त सलाहकार और उप सलाहकार के स्तर पर पदों की कुल संख्या बीस है और प्रत्येक स्तर पर प्रचालित किए जाने वाले पदों की संख्या आवेदकों की पात्रता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(3)	(4)	(5)
साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	संयुक्त सलाहकार स्तर- 13 उप सलाहकार स्तर-12	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
मिश्रित पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति] **संयुक्त सलाहकार:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वशासी संगठनों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास उपाबंध-I में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 1:** इन पदों को, आवेदकों की पात्रता के आधार पर, संयुक्त सलाहकार या उप-सलाहकार द्वारा भरने की छूट होगी, तथापि, संयुक्त सलाहकार और उप सलाहकार के ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के समय निर्दिष्ट की जाएंगी। **टिप्पण 2:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय उप सलाहकारों जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिनके पास उपाबंध-I में विहित शैक्षिक अर्हताएं और

अनुभव हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत विषय या क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उप सलाहकार:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वशासी संगठनों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास उपाबंध-I में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1: इन पदों को, आवेदकों की पात्रता के आधार पर, संयुक्त सलाहकार अथवा उप-सलाहकार द्वारा भरने की छूट होगी, तथापि, संयुक्त सलाहकार और उप सलाहकार के ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के समय निर्दिष्ट की जाएंगी।

टिप्पण 2: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिनके पास उपाबंध-I में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत विषय या क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा. सं. ए-12018/01/2016-प्रशासन I (बी) (भाग-II)]

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

उपाबंध 1

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीबीएस या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के खंड 'ए' और 'बी' में उत्तीर्ण; या

प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विवर्षीय)।

वांछनीय शैक्षिक अर्हता:

किसी भी विधा में डॉक्टरेट या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

अनिवार्य अनुभव:

संयुक्त सलाहकार: नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन या कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन वर्षों में कार्य अनुभव को शामिल न किया गया हो)।

उप सलाहकार: नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन या कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन इन वर्षों में कार्य अनुभव को शामिल न किया गया हो)।

New Delhi, the 24th September, 2018

G. S.R. 315.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Joint Adviser) Recruitment Rules, 2012 and Planning Commission (Deputy Adviser) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Joint Adviser and Deputy Adviser in the NITI Aayog, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the NITI Aayog, Joint Adviser and Deputy Adviser, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with other orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post
(1)	(2)
Joint Adviser/Deputy Adviser	20* *(2018) Subject to variation dependent on workload. **Note:** The total number of posts at the level of Joint Adviser and Deputy Adviser are twenty and the number of posts to be operated at each level will be determined depending upon the eligibility of the applicants.

Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection post
(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Joint Adviser Level-13 Deputy Adviser Level-12	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion)].

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(11)
By composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion)] : **Joint Adviser:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or recognised Universities or Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or Statutory Organisations:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed in Annexure-I. **Note 1:** There shall be flexibility to fill up the posts either by Joint Adviser or Deputy Adviser depending upon the eligibility of the applicants, however, number of vacancies to be filled up in the grade of Joint Adviser and Deputy Adviser shall be indicated at the time of submission of proposal to the Union Public Service Commission.

Note 2: The Departmental Deputy Adviser of the NITI Aayog in level-12 in the pay matrix with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure-I and having successfully completed 2-4 weeks of training in relevant fields or area as specified by NITI Aayog will also be considered along with outsiders and if a Departmental Deputy Adviser is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Deputy Adviser:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or recognised Universities or Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous organisations or Statutory organisations:—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed in Annexure-I.

Note 1: There shall be flexibility to fill up the posts either by Joint Adviser or Deputy Adviser depending upon the eligibility of the applicants, however, number of vacancies to be filled up in the grade of Joint Adviser and Deputy Adviser shall be indicated at the time of submission of proposal to Union Public Service Commission.

Note 2: The Departmental Senior Research Officer of the NITI Aayog in level-11 in the pay matrix with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience as prescribed in the Annexure-I and having successfully completed 2-4 weeks of training in relevant fields or area as specified by NITI Aayog will also be considered along with outsiders and if a Departmental Senior Research Officer is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contact) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/01/2016-Admin I(B) (Part-II)]

DINESH KOCHHER, Under Secy.

ANNEXURE 1

Essential Educational Qualification:

Masters' degree in any discipline or MBBS or degree in Engineering or Technology from a recognised University or passed in sections 'A' and 'B' of the institution examinations of the Institute of Engineers (India); or

Post Graduate Diploma in Management (two years).

Desirable Educational Qualification:

Doctorate in any discipline or Master's degree in Engineering.

Essential experience:

Joint Adviser: Minimum ten years' experience (which shall include upto three years for Ph.D provided no work experience is counted during those three years) in formulation, appraisal, execution or implementation, research, monitoring and evaluation of policy, programme or projects.

Deputy Adviser: Minimum eight years' experience (which shall include upto three years for Ph.D provided no work experience is counted during those three years) in formulation, appraisal, execution or implementation, research, monitoring and evaluation of policy, programme or projects.